# अध्यादेश शासित

# भारतीय विधिशास्त्र में एल.एल.बी. (ऑनर्स)

# तीन वर्षीय (छह सेमेस्टर) डिग्री प्रोग्राम

## 2024-2025

## केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

56-57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

## विधिशास्त्रविद्याशाखा

## केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर

गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी नगर, अर्जुन नगर, जयपुर, राजस्थान-302018

Scanned with OKEN Scanner

## शान्तिमंत्रः

ॐ द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः
सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि॥

सर्वे भवन्तु सुखिनःसर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तुमा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्॥

संगच्छध्वंसंवदध्वंसंवोमनांसिजानताम्।
देवाभागंयथापूर्वेसञ्जानानाउपासते॥

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः

## शांति के लिए प्रार्थना

सम्पूर्ण आकाश में तथा सर्वत्र विशाल आकाश में शांति व्याप्त हो। इस संपूर्ण पृथ्वी पर, जल में, सभी जड़ी-बूटियों, वृक्षों और लताओं में शांति का राज हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति प्रवाहित हो। परम सत्ता ब्रह्म में शांति हो। और सभी में सदैव शांति ही शांति बनी रहे।

सभी सत्वों को शांति मिले, कोई भी बीमारी से पीड़ित न हो, सभी वही देख सकें जो शुभ है, कोई भी पीड़ित न हो। हम सद्भाव में आगे बढ़ें और एक स्वर में बोलें।

सभी बुद्धिमान हों और हमारे मन एकमत हों। याद रखें कि देवता पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने भी अनादि काल से किसी भी बलिदान में अपना हिस्सा लेकर इसी तरह आचरण किया है।

ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः



Scanned with OKEN Scanner

# भारतीय विधिशास्त्र में एल.एल.बी. (ऑनर्स) तीन वर्षीय (छह सेमेस्टर) डिग्री प्रोग्राम को शासित करने वाले अध्यादेश

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 6(1) (iv) और 29 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इसकी पहली संविधि के खंड 28 और 39 के साथ पठित, विश्वविद्यालय भारतीय विधिशास्त्र डिग्री कार्यक्रम में एल.एल.बी. (आनर्स) छह सेमेस्टर कार्यक्रम को प्रवेश अध्ययन के पाठ्यक्रम, परीक्षा की मंजूरी देता है और केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विधिशास्त्र विद्याशाखा विभाग के अधीन भारतीय विधिशास्त्र में तीन वर्षीय डिग्री कार्यक्रम एल.एल.बी. (आनर्स) से संबंधित अन्य मामलों को नियंत्रित करने वाले इस अध्यादेश को अपनाता है।

योऽनूचानः स नो महान्।

## 1. प्रस्तावना

विश्वविद्यालय की मंजूरी के साथ और अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार, विधिशास्त्र विद्याशाखा भारतीय विधिशास्त्र में एलएलबी (ऑनर्स) में नवीन अध्ययन विधियों और पाठ्यक्रम को अपनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों, निर्धारित पाठ्यक्रमों के व्यापक और गहन तरीके और कानून स्नातकों के लिए खुले विविध करियर के लिए पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रावधान करके भारतीय कानूनी शिक्षा की ओर उन्मुख करने हेतु तथा परंपरा आधारित कानूनी शिक्षा विकसित करने और भारतीय विधिशास्त्र और कानून में अध्ययन के चयनित क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विधिशास्त्र विद्याशाखा एलएलबी(ऑनर्स) भारतीय विधिशास्त्र में त्रि-वर्षीय, छह सेमेस्टर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की पुष्टि करती है।

## 2. उद्देश्य

2.1 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे बड़ा और एकमात्र बहु-भाषा परिसर विश्वविद्यालय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को भारत सरकार की संस्कृत संबंधी नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का भी विशेषाधिकार प्राप्त है। कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत भाषा और धर्मशास्त्रीय परंपरा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने भारतीय विधिशास्त्र में एलएलबी (ऑनर्स) शुरू करने का निर्णय लिया है।



Scanned with OKEN Scanner

2.2 तीन वर्षीय एलएल.बी. (ऑनर्स) भारतीय विधिशास्त्र में कानून और व्यवहार में धर्मशास्त्र की नींव स्थापित करने के लिए कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान-आधारित प्रणाली को बढ़ावा देने का प्रयास करना।

2.3 कार्यक्रम का उद्देश्य कानून और कानूनी सिद्धांतों के भारतीय परंपरा-आधारित ज्ञान के पुनरुद्धार के लिए कार्य करना है।

2.4 कार्यक्रम द्वारा भारतीय विधिशास्त्र को कानून के क्षेत्र में खोजे जाने वाले बहु-विषयक क्षेत्र के एक जीवंत क्षेत्र के रूप में स्थापित करना।

2.5 कार्यक्रम के माध्यम से कानूनी शिक्षा के दृष्टिकोण के साथ-साथ भारतीय परंपरा का एक नया क्षितिज प्रदान करके कानूनी शिक्षा के परिवर्तन को बढ़ावा देना।

2.6 कार्यक्रम मूल रूप से कानून की धर्म और धर्मशास्त्रीय परंपराओं के सिद्धांतों को शामिल करके मौजूदा स्थिति और कानूनी शिक्षा के वांछित गंतव्य के बीच अंतर को भरने पर केंद्रित है।

2.7 कार्यक्रम का लक्ष्य आम लोगों को 'कर्तव्य' की मूल अवधारणा और परंपरा-आधारित मूल्यों और नैतिकता को बहाल करने के महत्व के बारे में जागरूक करना है।

2.8 पाठ्यक्रम भारतीय कानूनी प्रणाली को उसके आंतरिक मूल्यों के साथ फिर से संगठित करने, न्याय को बढ़ावा देने और संस्थानों और प्रक्रियाओं में सार्वजनिक विश्वास बहाल करने के लिए अनिवार्य है।

2.9 भारतीय विधिशास्त्र में एल.एल.बी. (ऑनर्स) पुस्तकों में कानून को व्यवहार में कानून से जोड़ने के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ डिजाइन किए गए अनिवार्य और वैकल्पिक पेपर शामिल हैं। यह छात्रों को महत्वपूर्ण कानूनी सोच और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और छात्रों को स्थायी समकालीन दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिशीलता के संदर्भ में वास्तविक जीवन के कानूनी मुद्दों और समस्याओं पर कानूनी ज्ञान और कौशल लागू करने के लिए सशक्त बनाता है।

2.10 कार्यक्रम के द्वारा भारतीय मूल्यों, परंपराओं और विधिशास्त्र को संरक्षित करने के लिए अद्वितीय शैक्षणिक दृष्टिकोण के साथ शास्त्रों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देना।

2.11 यह कार्यक्रम कानूनी शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों द्वारा युवाओं में चरित्र निर्माण को बढ़ावा देता है।



Scanned with OKEN Scanner

2.12 हम पुष्टि करते हैं कि धर्म का नियम (कानून) आधारित कानूनी शिक्षा व्यक्तित्व और चरित्र को पूर्ण सीमा तक विकसित करेगी। परंपरा-आधारित कानूनी शिक्षा को वर्तमान भारत की जरूरतों के लिए पारंपरिक कानूनी नुस्खों को तैयार करने में कुशल लोगों का निर्माण करना चाहिए और समाज में जीवन उत्कृष्टता और समरसता के लिए प्रयास करना चाहिए।

## 3. संरचना

3.1 भारतीय विधिशास्त्र में एलएलबी. (ऑनर्स) अध्ययन के छह-सेमेस्टर कार्यक्रम के सफल समापन पर उम्मीदवारों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में छात्रों की कुल संख्या **60** होगी।

3.2 भारतीय विधिशास्त्र में एलएलबी (ऑनर्स) के लिए प्रवेश, अध्ययन, परीक्षाएं और सेमेस्टर से सेमेस्टर तक निरंतरता, पदोन्नति और परिणामों की घोषणा। निम्नलिखित अध्यादेशों में दिए गए है:-

3.3 भारतीय विधिशास्त्र में एलएलबी. (ऑनर्स) कार्यक्रम में छह सेमेस्टर में 216 क्रेडिट के पाठ्यक्रम होंगे, जो निम्नवत है:-

3.4

| **प्रथम सेमेस्टर** | | | |
|---|---|---|---|
| **पाठ्यक्रम श्रेणी** | **क्रेडिट** | **पाठ्यक्रमों की संख्या** | **कुल क्रेडिट** |
| विशिष्ट विषयक अनिवार्य विषय (सिद्धांत) | 6 | 3 | 18 |
| विशिष्ट विषयक क्लिनिकल पाठ्यक्रम | 6 | 1 | 6 |
| विशिष्ट विषयक सम्मान विशेषज्ञता | 6 | 2 | 12 |
| अनिवार्य भाषा पाठ्यक्रम | 4 | 1 | 4 |
| | **प्रथम सेमेस्टर में कुल क्रेडिट** | | 18+6+ 12+4= 40 |
| **द्वितीय सेमेस्टर** | | | |
| विशिष्ट विषयक अनिवार्य विषय (सिद्धांत) | 6 | 4 | 24 |
| विशिष्ट विषयक सम्मान विशेषज्ञता | 6 | 2 | 12 |



Scanned with OKEN Scanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | द्वितीय सेमेस्टर में कुल क्रेडिट | | 24+12= 36 |
| **तृतीय सेमेस्टर** | | | |
| **पाठ्यक्रम श्रेणी** | **क्रेडिट** | **पाठ्यक्रमों की संख्या** | **कुल क्रेडिट** |
| विशिष्ट विषयक अनिवार्य विषय (सिद्धांत) | 6 | 3 | 18 |
| विशिष्ट विषयक नैदानिक पाठ्यक्रम | 6 | 1 | 6 |
| विशिष्ट विषयक सम्मान विशेषज्ञता | 6 | 2 | 12 |
| | तृतीय सेमेस्टर में कुल क्रेडिट | | 18+6+12= 36 |
| **चतुर्थ-सेमेस्टर** | | | |
| विशिष्ट विषयक अनिवार्य विषय (सिद्धांत) | 6 | 3 | 18 |
| विशिष्ट विषयक नैदानिक पाठ्यक्रम | 6 | 1 | 6 |
| विशिष्ट विषयक सम्मान विशेषज्ञता | 6 | 2 | 12 |
| | चतुर्थ सेमेस्टर में कुल क्रेडिट | | 18+6+12= 36 |
| **पञ्चम-सेमेस्टर** | | | |
| **पाठ्यक्रम श्रेणी** | **क्रेडिट** | **पाठ्यक्रमों की संख्या** | **कुल क्रेडिट** |
| विशिष्ट विषयक अनिवार्य विषय (सिद्धांत) | 6 | 3 | 18 |
| विशिष्ट विषयक नैदानिक पाठ्यक्रम | 6 | 1 | 6 |
| विशिष्ट विषयक वैकल्पिक पत्र | 6 | 2 | 12 |
| | पञ्चम सेमेस्टर में कुल क्रेडिट | | 18+6+12= 36 |
| **षष्ठ-सेमेस्टर** | | | |
| विशिष्ट विषयक अनिवार्य विषय (सिद्धांत) | 6 | 2 | 12 |
| विशिष्ट विषयक वैकल्पिक पत्र | 6 | 4 | 24 |
| | षष्ठ सेमेस्टर में कुल क्रेडिट | | **36** |
| **भारतीय विधिशास्त्र में एलएलबी (ऑनर्स) के लिए कुल क्रेडिट आवश्यकता** | | | **216+3** |



Scanned with OKEN Scanner

## शब्दों का संक्षिप्तीकरण

डीएससीएस: विशिष्ट विषयक अनिवार्य विषय
डीएससीसी: विशिष्ट विषयक नैदानिक पाठ्यक्रम
डीएसओपी: विशिष्ट विषयक वैकल्पिक पत्र
डीएसएचएस: विशिष्ट विषयक सम्मान विशेषज्ञता
एलएचबीजे: भारतीय विधिशास्त्र में एलएलबी (ऑनर्स)

पाठ्यक्रम/क्रेडिट का सेमेस्टर-वार विवरण नीचे दिया गया है:

### प्रथम सेमेस्टर

| क्रम संख्या. | पाठ्यक्रम कोड | पाठ्यक्रम का नाम | क्रेडिट | पाठ्यक्रम प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **एलएचबीजे -101** | अनुबंध कानून | 6 | **DSCS** |
| 2. | **एलएचबीजे -102** | संवैधानिक कानून | 6 | **DSCS** |
| 3. | **एलएचबीजे -103** | अपराध कानून- I (भारतीयन्यायसंहिता, 2023) | 6 | **DSCS** |
| 4. | **एलएचबीजे -104** | व्यावसायिक नैतिकता एवं व्यावसायिक लेखा प्रणाली | 6 | **DSCC** |
| 5. | **एलएचबीजे -105** | भारतीय विधिशास्त्र से संबंधित संस्कृत शब्दावली और वाक्यांश | 6 | **DSHS** |
| 6. | **एलएचबीजे -106** | भारतीय विधिशास्त्र के मौलिक ग्रंथ | 6 | **DSHS** |
| 7. | **एलएचबीजे -107** | अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य भाषा का पत्र)* | 4 | |

नोट: अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य भाषा का पेपर)* भारतीय विधिशास्त्र में एलएलबी (ऑनर्स) की डिग्री हासिल करने के लिए एक क्वालीफाइंग पेपर होगा। जिसके अंकों की गणना एसजीपीए/सीजीपीए के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।



Scanned with OKEN Scanner

## द्वितीय सेमेस्टर

| क्रम संख्या. | पाठ्यक्रम कोड | पाठ्यक्रम का नाम | क्रेडिट | पाठ्यक्रम प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एलएचबीजे -108 | संवैधानिक कानून- II | 6 | DSCS |
| 2. | एलएचबीजे -109 | टार्ट का कानून | 6 | DSCS |
| 3. | एलएचबीजे -110 | सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम | 6 | DSCS |
| 4. | एलएचबीजे -111 | अपराध कानून पत्र II: (प्रक्रिया) | 6 | DSCS |
| 5. | एलएचबीजे -112 | अष्टादशव्यवहारविधि एवं न्यायिक प्रक्रिया | 6 | DSHS |
| 6. | एलएचबीजे -113 | राजधर्म और भारतीय प्रशासनिक कानून | 6 | DSHS |

## तृतीय सेमेस्टर

| क्रम संख्या. | पाठ्यक्रम कोड | पाठ्यक्रम का नाम | क्रेडिट | पाठ्यक्रम प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एलएचबीजे -114 | पारिवारिक कानून I: हिंदू कानून | 6 | DSCS |
| 2. | एलएचबीजे -115 | प्रशासनिक कानून | 6 | DSCS |
| 3. | एलएचबीजे -116 | साक्ष्य कानून | 6 | DSCS |
| 4. | एलएचबीजे -117 | मूट कोर्ट अभ्यास और इंटर्नशिप | 6 | DSCC |
| 5. | एलएचबीजे -118 | धर्मशास्त्र पारिवारिक व्यवस्था एवं विधि | 6 | DSHS |
| 6. | एलएचबीजे -119 | अपराध, दण्ड एवं प्रयाश्चित | 6 | DSHS |
| 7. | एलएचबीजे -120 | जनजातीय प्रशासन प्रणाली: कानून और न्याय | 6 | DSHS |

नोट: एक छात्र को तृतीय-सेमेस्टर में उपरोक्त कोड संख्या एलएचबीजे -**118** से एलएचबीजे - **120** में से दो पाठ्यक्रम का विकल्प चुनना होगा।



Scanned with OKEN Scanner

## चतुर्थ सेमेस्टर

| क्रम संख्या. | पाठ्यक्रम कोड | पाठ्यक्रम का नाम | क्रेडिट | पाठ्यक्रम प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एलएचबीजे -121 | पारिवारिक कानून-II | 6 | **DSCS** |
| 2. | एलएचबीजे -122 | न्यायशास्त्र | 6 | **DSCS** |
| 3. | एलएचबीजे -123 | संपत्ति कानून | 6 | **DSCS** |
| 4. | एलएचबीजे -124 | प्रारूपण, अभिवचन और संप्रेषण | 6 | **DSCC** |
| 5.. | एलएचबीजे -125 | कर्त्तव्य आधारित विधिशास्त्र | 6 | **DSHS** |
| 6. | एलएचबीजे -126 | मीमांसा एवं न्यायदर्शन | 6 | **DSHS** |
| 7. | एलएचबीजे -127 | भारतीय पर्यावरण विधिशास्त्र | 6 | **DSHS** |

नोट: एक छात्र को चतुर्थ सेमेस्टर में उपरोक्त कोड संख्या एलएचबीजे -125 से एलएचबीजे - 127 में से दो पाठ्यक्रम का विकल्प चुनना होगा।

## पञ्चम सेमेस्टर

| क्रम संख्या. | पाठ्यक्रम कोड | पाठ्यक्रम का नाम | क्रेडिट | पाठ्यक्रम प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एलएचबीजे -128 | लोक अंतर्राष्ट्रीय कानून | 6 | **DSCS** |
| 2. | एलएचबीजे -129 | कंपनी लॉ | 6 | **DSCS** |
| 3. | एलएचबीजे -130 | कराधान कानून के सिद्धांत | 6 | **DSCS** |
| 4. | एलएचबीजे -131 | वैकल्पिक विवाद समाधान | 6 | **DSCC** |
| 5. | एलएचबीजे -132 | क़ानून की व्याख्या | 6 | **DSOP** |
| 6. | एलएचबीजे -133 | विशेष अनुबंध | 6 | **DSOP** |



Scanned with OKEN Scanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | एलएचबीजे -134 | प्रतिस्पर्धा कानून | 6 | **DSOP** |
| 8. | एलएचबीजे -135 | निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून | 6 | **DSOP** |
| 9. | एलएचबीजे -136 | दिवालियापन एवं दिवाला कानून | 6 | **DSOP** |
| 10. | एलएचबीजे -137 | कॉर्पोरेट वित्त पर कानून | 6 | **DSOP** |

नोट: एक छात्र को पांचवें सेमेस्टर में उपरोक्त कोड संख्या एलएचबीजे -**132** से एलएचबीजे - **137** में से दो पाठ्यक्रम का विकल्प चुनना होगा।

## षष्ठ सेमेस्टर

| क्रम संख्या. | पाठ्यक्रम कोड | पाठ्यक्रम का नाम | क्रेडिट | पाठ्यक्रम प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **एलएचबीजे -138** | पर्यावरण कानून | 6 | **DSCS** |
| 2. | **एलएचबीजे -139** | श्रम और औद्योगिक कानून | 6 | **DSCS** |
| 3. | **एलएचबीजे -140** | बौद्धिक संपदा कानून | 6 | **DSOP** |
| 4. | **एलएचबीजे -141** | सायबर कानून | 6 | **DSOP** |
| 5. | **एलएचबीजे -142** | क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी | 6 | **DSOP** |
| 6. | **एलएचबीजे -143** | बैंकिंग एवं बीमा कानून | 6 | **DSOP** |
| 7. | **एलएचबीजे -144** | निगम से संबंधित शासन प्रणाली | 6 | **DSOP** |
| 8. | **एलएचबीजे -145** | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून | 6 | **DSOP** |
| 9. | **एलएचबीजे -146** | भूमि कानून सहित कार्यकाल और किरायेदारी प्रणाली | 6 | **DSOP** |
| 10. | **एलएचबीजे -147** | कानून एवं कृषि | 6 | **DSOP** |
| 11. | **एलएचबीजे -148** | अप्रत्यक्ष कराधान | 6 | **DSOP** |
| 12. | **एलएचबीजे -149** | पर्यटन कानून | 6 | **DSOP** |



Scanned with OKEN Scanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | एलएचबीजे -150 | खेल पर कानून | 6 | **DSOP** |
| 14. | एलएचबीजे -151 | भ्रष्टाचार विरोधी कानून | 6 | **DSOP** |
| 15. | एलएचबीजे -152 | सेवा सुरक्षा कानून | 6 | **DSOP** |
| 16. | एलएचबीजे -153 | रियल एस्टेट विनियमन कानून | 6 | **DSOP** |
| 17. | एलएचबीजे -154 | भारतीय विधिशास्त्र की स्थापना | 6 | **DSOP** |
| 18. | एलएचबीजे -155 | भारतवर्ष की विभिन्न परंपराएँ | 6 | **DSOP** |
| 19. | एलएचबीजे -156 | कौटिल्य का अर्थशास्त्र और भारतीय विधिशास्त्र | 6 | **DSOP** |
| 20. | एलएचबीजे -157 | भारतीय विधिशास्त्र में युद्ध और शांति पर कानून | 6 | **DSOP** |

टिप्पणी:

1. एक छात्र को छठे सेमेस्टर में उपरोक्त कोड संख्या एलएचबीजे -**138** से एलएचबीजे -**153** में से तीन पाठ्यक्रम का विकल्प चुनना होगा।
2. एक छात्र को छठे सेमेस्टर में उपरोक्त कोड संख्या एलएचबीजे-**154** से एलएचबीजे-**157** में से एक पाठ्यक्रम का विकल्प चुनना होगा।

## 4. पात्रता आवश्यकताएँ

एक उम्मीदवार भारतीय विधिशास्त्र को सेमेस्टर I में, एलएलबी (ऑनर्स) में प्रवेश के लिए पात्र होगा। यदि वह निम्नलिखित में उत्तीर्ण है:

| | |
|---|---|
| 3 भारतीय विधिशास्त्र में एल.एल.बी. (ऑनर्स) तीन वर्षीय छह सेमेस्टर में प्रवेश हेतु। | तीन वर्षों में सभी विषयों पर विचार करते हुए कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक (एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 45%) प्राप्त करने वाले बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम./शास्त्री (कम से कम 10+2+3 पैटर्न) उन विषयों को छोड़कर जहां केवल उत्तीर्ण अंकों की आवश्यकता होती है और जो अंतिम (डिग्री) मार्कशीट में कुल में योगदान नहीं करते हैं या एलएलबी में प्रवेश के उद्देश्य से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम 10+2+3 पैटर्न के तहत कोई अन्य डिग्री। तीन वर्षों में सभी विषयों पर विचार करते हुए कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक (एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 45%) प्राप्त करने वाला पाठ्यक्रम (कुल की गणना ऊपर बताए अनुसार की जाएगी)। धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, लोक प्रशासन और इसी तरह के विषयों की पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। |



Scanned with OKEN Scanner

## 5. प्रवेश प्रक्रिया

5.1 भारतीय विधिशास्त्र सेमेस्टर - I में एलएलबी (ऑनर्स) में प्रवेश अध्ययन का कार्यक्रम विश्वविद्यालय/कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा अर्थात सीयूईटी की प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

5.2 अध्यादेशों के प्रावधानों के तहत गठित भारतीय विधिशास्त्र में एलएलबी (ऑनर्स) के लिए एक प्रवेश समिति होगी। इन अध्यादेशों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रवेश किया जाएगा।

5.3 हालाँकि, किसी भी उम्मीदवार द्वारा अधिकार के रूप में प्रवेश का दावा नहीं किया जा सकता है। किसी उम्मीदवार का प्रवेश या पुनः प्रवेश पूरी तरह से प्रवेश समिति के विवेक पर होगा जो बिना कोई कारण बताए किसी भी छात्र को प्रवेश देने से इनकार कर सकती है।

5.4 भारतीय विधिशास्त्र सेमेस्टर I कार्यक्रम में एलएलबी (ऑनर्स) में उम्मीदवार का प्रवेश के लिए उसके चयन पर निर्धारित शुल्क के भीतर होगा। यदि उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो उसका चयन स्वतः रद्द हो जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को संबंधित कार्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि मानदंडों के अनुसार चयन का नया आदेश और शुल्क भुगतान की तारीख बढ़ाने का आदेश जारी नहीं किया जाता है।

5.5 विदेशी नागरिकों का प्रवेश: छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा नामांकित विदेशी नागरिकों और स्व-वित्तपोषित विदेशी नागरिकों के आवेदनों पर उपरोक्त कार्यक्रम के लिए विचार किया जाएगा। वे प्रवेश परीक्षा के अधीन नहीं होंगे, बशर्ते कि उन्होंने समकक्ष योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो और न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

विभाग में उपलब्ध विभिन्न उपरोक्त कार्यक्रमों में से प्रत्येक में प्रवेश के लिए विदेशी नागरिकों के लिए, अतिरिक्त संख्या के आधार पर, किसी विषय में कार्यक्रम के कोटा के 15% की सीमा तक आरक्षण दिया जाएगा ।
विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार प्रत्येक आवेदक की पात्रता आदि की जांच करेंगे और पात्र पाए जाने पर संबंधित विदेशी नागरिक को पात्रता पत्र जारी करेंगे।

## 6. आरक्षण/भारांक

देशभर के सभी छात्र जो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। उनके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (सीएसयू) में प्रवेश हेतु आरक्षण नीतियां इस प्रकार हैं:

**6.1 आरक्षण**

1. अनुसूचित जाति (एससी) = प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल प्रवेश का 15%
2. अनुसूचित जनजाति (एसटी) = प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल प्रवेश का 7 1/2%
3. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) = प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल प्रवेश का 27%
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) = प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल प्रवेश के अलावा 10%
5. बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) कोटा = कुल इनटेक का 3%



Scanned with OKEN Scanner

(कम दृष्टि या अंधापन, श्रवण बाधित और लोकोमोटर विकलांगता या मस्तिष्क विकलांगता वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1%)।

सशस्त्र बल कार्मिक आरक्षण (सीडब्ल्यू श्रेणी) के बच्चे/विधवाएं = प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5% सीटें।

विदेशी नागरिकों = विभागों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5% सीटें आरक्षण के तहत प्रवेश के लिए कॉलेज।

**नोट: आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में सीटें यूजीसी/भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी जाएंगी।**

**6.2** कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सीटें: 10% अतिरिक्त सीटें विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारियों (परिवीक्षा पर शामिल लोगों सहित) के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएंगी जो वर्तमान में सेवा में हैं या उस सत्र (सत्र) से ठीक पहले शैक्षणिक सत्र के दौरान सेवा में थे जिसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। बशर्ते उम्मीदवार न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता हो और प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो। विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वार्ड श्रेणी के आवेदकों को यदि प्रवेश के लिए रजिस्ट्रार द्वारा (प्रशासन) को बुलाया जाता है तो कर्मचारी वार्ड का प्रमाण पत्र केवल निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित और उप द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

**6.3** भुगतान सीट कोटा: संकाय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रवेश के संबंधित वर्ष के लिए सूचना बुलेटिन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त भुगतान सीट कोटा के तहत छात्रों को प्रवेश दे सकता है।

**6.4** खेल सीट कोटा: खेल सीटों के तहत प्रवेश संबंधित प्रवेश वर्ष के सूचना बुलेटिन में निहित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

## 7. उपस्थिति

7.1 विद्यार्थियों के लिए सभी कक्षाओं में नियमित उपस्थिति अनिवार्य है।

7.2 यदि छात्र अनुपस्थिति के संदर्भ में लिखित आवेदन किए बिना लगातार दस दिनों या उससे अधिक समय तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहता है, तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

7.3 विभागाध्यक्ष (एचओडी) ऐसे छात्र को पुनः प्रवेश का आदेश दे सकता है, बशर्ते वह अनधिकृत अनुपस्थिति के कारणों के बारे में छात्र के स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो। पुनः प्रवेश के समय छात्र को अपना प्रवेश शुल्क नए सिरे से जमा करना होगा।

7.4 परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थी की उपस्थिति 75% होनी चाहिए अर्थात एक छात्र को एक शैक्षणिक सेमेस्टर में कुल व्याख्यान दिनों के अधिकतम 25 प्रतिशत दिनों के लिए ही छुट्टी की अनुमति दी जाएगी।

7.5 किसी छात्र की छुट्टी निम्नलिखित निर्धारित आधारों पर विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार्य होगी-



Scanned with OKEN Scanner

क) विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना 10 दिन की छुट्टी।

ख) 20 दिनों की चिकित्सा छुट्टी जिसके लिए एक पंजीकृत चिकित्सक से बीमारी और फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा |

7.7 विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में संकाय में एक उपस्थिति निगरानी समिति होगी।

**ध्यान दें:** एक ही समय में दो परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं है, चाहे वह सीएसयू या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित की गई हो।

## 8. पाठ्यक्रमों की योजनाएँ

विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की योजनाओं का विवरण भारतीय विधिशास्त्र पाठ्यक्रम में एलएलबी (ऑनर्स) में संबंधित विषयों के अंतर्गत दिया गया है। (परिशिष्ट 1)

## 9. शिक्षण और अन्य शुल्क का पैमाना

**9.1** भारतीय विधिशास्त्र एलएल.बी (ऑनर्स) के सभी नियमित उम्मीदवार। प्रति शैक्षणिक वर्ष निम्नलिखित शुल्क (रुपये में) का भुगतान करेगा:

**प्रथम सेमेस्टर शुल्क -**

| क्रम संख्या. | मदें | शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | प्रवेश प्रक्रिया शुल्क | 200 |
| 2. | प्रवेश शुल्क | 300 |
| 3. | नामांकन शुल्क | 100 |
| 4. | पुस्तकालय जमानत राशि | 400 |
| 5. | पहचान पत्र | 100 |
| 6. | छात्रनिधि शुल्क | 400 |
| 7. | जर्नल/पत्रिका शुल्क (ऑनलाइन जर्नल सहित) | 500 |
| 8. | कानूनी अनुसंधान और मूट कोर्ट शुल्क | 200 |
| 9. | पुस्तकालय उपयोगिता शुल्क | 300 |
| 10. | खेल शुल्क | 200 |
| 11. | विभिन्न गतिविधियाँ शुल्क | 500 |



Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| 12. | शिक्षण शुल्क | 10000 |
| | कुल योग | **13200/-(जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए)**<br>**200/-(एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ सीडब्ल्यू के लिए)** |

**द्वितीय सेमेस्टर शुल्क -**

| क्रम संख्या. | आइटम | शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | पुस्तकालय उपयोगिता शुल्क | **200** |
| 2. | खेल शुल्क | **100** |
| 3. | कानूनी अनुसंधान और मूट कोर्ट शुल्क | **200** |
| 4. | विभिन्न गतिविधियाँ | **200** |
| 5. | शिक्षण शुल्क | **10000** |
| | कुल शुल्क | **10700/-(जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए)**<br>**5700/-(एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ सीडब्ल्यू के लिए)** |

**तृतीय सेमेस्टर शुल्क -**

| क्रम संख्या. | आइटम | शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | प्रवेश शुल्क | 300 |
| 2. | नामांकन शुल्क | 100 |
| 3. | पुस्तकालय सावधानी धन | 400 |
| 4. | पहचान पत्र | 100 |
| 5. | छात्र निधि शुल्क | 400 |
| 6. | जर्नल/पत्रिका शुल्क (ऑनलाइन जर्नल सहित) | 500 |
| 7. | कानूनी अनुसंधान और मूट कोर्ट शुल्क | 500 |
| 8. | पुस्तकालय उपयोगिता शुल्क | 300 |
| 9. | खेल शुल्क | 200 |
| 10. | विभिन्न गतिविधियाँ शुल्क | 500 |
| 11. | शिक्षण शुल्क | 10000 |



Scanned with OKEN Scanner

| | |
|---|---|
| कुल योग | 13300/- (जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए)<br>8300/- (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ सीडब्ल्यू के लिए) |

**चतुर्थ सेमेस्टर शुल्क –**

| क्रम संख्या. | आइटम | शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | पुस्तकालय उपयोगिता शुल्क | 200 |
| 2. | खेल शुल्क | 100 |
| 3. | विभिन्न गतिविधियाँ | 200 |
| 4. | कानूनी अनुसंधान और मूट कोर्ट शुल्क | 500 |
| 5. | शिक्षण शुल्क | 10000 |
| | कुल शुल्क | 11000/- (जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए)<br>6000/- (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ सीडब्ल्यू के लिए) |

**पञ्चम सेमेस्टर शुल्क -**

| क्रम संख्या. | आइटम | शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | प्रवेश शुल्क | 300 |
| 2. | नामांकन शुल्क | 100 |
| 3. | पुस्तकालय सावधानी धन | 400 |
| 4. | पहचान पत्र | 100 |
| 5. | छात्र निधि शुल्क | 400 |
| 6. | जर्नल/पत्रिका शुल्क (ऑनलाइन जर्नल सहित) | 500 |
| 7. | कानूनी अनुसंधान और मूट कोर्ट शुल्क | 500 |
| 8. | पुस्तकालय उपयोगिता शुल्क | 300 |
| 13. | खेल शुल्क | 200 |
| 14. | विभिन्न गतिविधियाँ शुल्क | 500 |
| 15. | शिक्षण शुल्क | 10000 |
| कुल योग | | 13300/- (जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए) |

| | |
|---|---|
| | 8300/- (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ सीडब्ल्यू के लिए) |

**षष्ठ सेमेस्टर शुल्क -**

| क्रम संख्या. | आइटम | शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | पुस्तकालय उपयोगिता शुल्क | 200 |
| 2. | खेल शुल्क | 100 |
| 3. | विभिन्न गतिविधियाँ | 200 |
| 4. | कानूनी अनुसंधान और मूट कोर्ट शुल्क | 500 |
| 5. | शिक्षण शुल्क | 10000 |
| | कुल शुल्क | 11000/- (जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए)<br>6000/- (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ सीडब्ल्यू के लिए) |

नोट: उपरोक्त फीस समय-समय पर अकादमिक विद्वत परिषद द्वारा संशोधित की जा सकती है।

**9.2 कानूनी अनुसंधान और मूट कोर्ट शुल्क:**

(i) प्रत्येक सेमेस्टर के लिए रु. 500/- का शुल्क कानूनी अनुसंधान और मूट कोर्ट के लिए देय होगा जिसका संबंधित शैक्षणिक वर्ष या सेमेस्टर की शुरुआत में शिक्षण शुल्क की पहली और तीसरी किस्त के साथ भुगतान किया जाएगा।

(ii) विधिक अनुसंधान और मूट कोर्ट शुल्क विधिशास्त्र के "विधिक अनुसंधान और मूट कोर्ट निधि" में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग पठन और लेखन सामग्री की तैयारी, खरीद और आपूर्ति, मूट कोर्ट और उसके लिए आवश्यक सामग्री के आयोजन, छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने, व्यावहारिक प्रशिक्षण व्याख्यानों का आयोजन, विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन और व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से संबंधित अन्य संबंधित मामलों और ऐसे अन्य मामलों के लिए किया जाएगा, जो विभागाध्यक्ष की राय में, विभाग की नीति और योजना समिति और/या निधि के प्रबंधन के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा गठित किसी अन्य समिति के परामर्श से, विधि में पर्याप्त अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो सकते हैं।

## 10. छात्रवृत्ति

**10.1 उद्देश्य - सीएसयू के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।**

**10.2 छात्रवृत्ति के लिए पात्रता**



Scanned with OKEN Scanner

(i) केवल 10 महीनों के लिए 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति (800/- रुपये प्रति माह) केवल उन छात्रों के लिए जिन्होंने सीयूईटी प्रवेश परीक्षा या कैंपस द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा 60% (जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी श्रेणी), 50% (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी) स्कोर के साथ उत्तीर्ण की है और जिन्होंने शास्त्री (किसी भी शास्त्री अनुशासन में) का अध्ययन किया है।

(ii) छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिन छात्रों के पक्ष में पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है, उन्हें पाठ्यक्रम की अवधि तक छात्रवृत्ति मिलती रहेगी, यदि उन्हें हर वर्ष उत्तीर्ण घोषित किया जाता है और वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र बने रहते हैं। लेकिन, यदि उन्हें किसी विषय या पेपर में पदोन्नत घोषित किया जाता है, या कम्पार्टमेंट के लिए रोका जाता है, तो उन्हें पाठ्यक्रम के शेष वर्षों के लिए छात्रवृत्ति देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) यदि कुछ छात्रवृत्तियाँ अप्राप्त रह जाती हैं तो द्वितीय वर्ष के योग्य छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

**छात्रवृत्ति प्रदान करने के नियम**

a. छात्रवृत्ति का अनुदान शैक्षिक प्रगति, अच्छे आचरण और नियमित उपस्थिति पर निर्भर करेगा।
b. छात्रवृत्ति एक वर्ष में 10 महीने के लिए दी जाएगी।
c. प्रत्येक वर्ष, या परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, छात्रवृत्ति के अनुदान के लिए छात्रों का एक नया चयन किया जाएगा। जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, या परीक्षा का एक हिस्सा उत्तीर्ण कर लिया है, उन्हें योग्यता के आधार पर नए साल या पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
d. उपरोक्त नियमों के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को किसी अन्य स्रोत से कोई छात्रवृत्ति, वेतन, शुल्क आदि प्राप्त नहीं होगी। यदि उसे ऐसी आय प्राप्त हो रही है, तो उसे वह रोजगार छोड़ना होगा और प्राप्त धन वापस करना होगा। यदि उसे अप्रत्याशित रूप से नकद या किसी अन्य माध्यम से, उसकी छात्रवृत्ति की राशि के बराबर या उससे कम पुरस्कार मिलता है, तो उसे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार, उसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त शिक्षा, स्व-अध्ययन के लिए छात्रावास सुविधाएं, किताबें और यात्रा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।
e. विश्वाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति की राशि किसी भी समय बढ़ाई या घटाई जा सकती है। छात्रवृत्ति वित्तीय अनुमोदन और विश्वविद्यालय से अनुमोदित राशि प्राप्त होने पर ही वितरित की जाएगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 75% उपस्थिति और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है।
f. यदि विश्वाविद्यालय/परिसर का कोई शिक्षक या कर्मचारी छात्र द्वारा कि गई अनुशासनहीनता की शिकायत करता है तो छात्रवृत्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है। छात्रवृत्ति के लिए चयन प्रक्रिया में छात्र को छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। निदेशक आवेदनों की जांच के बाद योग्यता के आधार पर नियमों के तहत छात्रवृत्ति देने कि मंजूरी देंगे।



Scanned with OKEN Scanner

g. छात्रवृत्ति की अवधि

(i) छात्रवृत्ति की अवधि एक सत्र में 10 महीने होगी।

(ii) पात्रता मानदंड के आधार पर, छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम के पहले या दूसरे वर्ष से अंतिम वर्ष तक होगी।

(iii) एक बार रद्द की गई छात्रवृत्ति, विश्वाविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना फिर से शुरू नहीं की जाएगी।

(iv) (iv) संतोषजनक आचरण और नियमित उपस्थिति छात्रवृत्ति की बुनियादी शर्तें हैं। यदि किसी छात्र की उपस्थिति किसी भी माह, किसी भी विषय में 75% से कम हो जाती है, तो उसे तब तक छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी जब तक वह 75% उपस्थिति की अनिवार्यता पूरी नहीं कर लेता। यदि कोई छात्र 30 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उसे अनुपस्थिति अवधि के दौरान देय राशि की कटौती के बाद ही छात्रवृत्ति दी जाएगी, भले ही उसकी उपस्थिति का कुल प्रतिशत 75% से अधिक हो।

(v) छात्र को संबंधित परिसर के निर्देशानुसार एक बैंक खाता खोलना चाहिए।

**संवितरण –**

आम तौर पर, संबंधित परिसर के निदेशक छात्रवृत्ति समिति की सिफारिश पर हर महीने के पहले सप्ताह में छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि के वितरण का आदेश देंगे, जिसे समिति उपस्थिति के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। विद्यार्थी छात्रवृत्ति उस दिन से शुरू होगी जब छात्र वास्तव में कक्षाओं में भाग लेना शुरू करेगा।

## 11. छात्रावास

विश्वविद्यालय के परिसरों में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान के परिसर निर्धारित छात्रावास नियमों का पालन करेंगे जिन्हें संबंधित परिसर द्वारा अपने छात्रावासों में प्रदर्शित किया जाएगा। छात्रावास प्रबंधन नीति के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें –

https://sanskrit.nic.in/uploads/2023_07_01_Hostel_Guidelines_2.pdf

छात्रावास शुल्क संरचना के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें –

https://sanskrit.nic.in/uploads/2023_07_01_Fee_Structure_Hostel.pdf

## 12. छात्रों के लिए ड्रेस कोड

छात्रों को गणवेष पहननी होगी, जैसा कि संबंधित परिसर/संबद्ध संस्थान के निदेशक/प्रिंसिपल द्वारा निर्धारित किया गया है।

## 13. प्रवेश रद्द करना और प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश

**13.1 प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं समय पर पूरी न करने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।,**



Scanned with OKEN Scanner

a) यदि कोई उम्मीदवार उस जानकारी के आधार पर प्रवेश पाने में सफल हो जाता है जो बाद में झूठी पाई जाती है, तो उसका प्रवेश बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जाएगा, और विश्वविद्यालय को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

b) यदि इस प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित नियमों और विश्वाविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से पूर्व में प्रकाशित या इंगित किए गए नियमों के बीच विसंगति है, तो पूर्व की तुलना बाद वालो (अर्थात सीएसयू द्वारा प्रकाशित नियम) को लागू हो, में प्राथमिकता प्राप्त होगी।

### 13.2 प्रवेश शुल्क वापसी नीति

शुल्क की वापसी और मूल प्रमाणपत्रों को बरकरार न रखने के संबंध में यूजीसी की अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई छात्र उस अध्ययन के कार्यक्रम से हटने का विकल्प चुनता है जिसमें वह नामांकित है, तो वापसी शुल्क के लिए निम्नलिखित संरचना लागू हो सकती है:-

| क्र.सं. | वापसी का प्रतिशत | सीएसयू में प्रवेश वापसी की सूचना प्राप्त होने के समय से। |
|---|---|---|
| 1. | 100% | 15 दिन या अधिक प्रवेश की औपचारिक अधिसूचना की अंतिम तिथि से पहले |
| 2. | 90% | 15 दिन या अधिक प्रवेश की औपचारिक अधिसूचना की अंतिम तिथि से पहले |
| 3. | 80% | 80% 15 दिन या कम प्रवेश की औपचारिक अधिसूचित अंतिम तिथि के बाद |
| 4. | 50% | 50% 30 दिन या कम प्रवेश को औपचारिक अधिसूचित अंतिम तिथि के बाद |
| 5. | 00% | 30 दिनों से अधिक प्रवेश की औपचारिक अधिसूचित अंतिम तिथि के बाद |

### 13.3. जमानत राशि

a) यदि कोई उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा किए बिना बीच में ही विश्वविद्यालय छोड़ देता है, तो सुरक्षा राशि को छोड़कर उसके द्वारा जमा किया गया कोई भी शुल्क विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार उसे वापस नहीं किया जायेगा।

b) परिणाम की घोषणा के बाद या सत्र के अंत में जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। हालाँकि, यदि कोई छात्र सत्र के दौरान उक्त धनराशि वापस ले लेता है, तो छात्र का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी स्थिति में उसे पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा।



Scanned with OKEN Scanner

# 14. अनुशासन और आचार संहिता

## 14.1 अनुशासन

विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए छात्रों का आचरण अच्छा और व्यवस्थित होना चाहिए। उन्हें धूम्रपान, शराब पीना या अन्य प्रकार के तंबाकू या नशीली दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनसे परिसर में आयोजित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई छात्र परिसर की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे अपना प्रवेश खोना पड़ सकता है और क्षति की राशि उससे वसूली जाएगी।

## 14.2 आचार संहिता

परिसर के छात्रों को नीचे दी गई आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करना होगा:

1. सभी छात्र आत्म-अनुशासन का अभ्यास करेंगे और नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेंगे।
2. अनुशासन का उल्लंघन करने वालों को नियमानुसार उचित दण्ड दिया जायेगा। यदि परिसर की अनुशासन समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, तो गंभीर उल्लंघनों के दोषी ठहराए गए लोगों को निष्कासन की सजा दी जा सकती है।
3. परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और परिसर को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
4. परिसर के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा बनाये रखेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें ऐसी किसी भी अवांछनीय गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो परिसर की गरिमा के विरुद्ध हो सकती हैं।
5. परिसर के छात्र राजनीति में न पड़ें.
6. परिसर की अनुशासन समिति उस छात्र को दंडित कर सकती है जो हिंसा फैलाता है, या फैलाने का कारण बनता है, शांति भंग करता है, या अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है।
7. अनुशासन समिति की सिफ़ारिशों पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।
8. कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित है।

# 16. परीक्षा

## 16.1 सामान्य

(i) a) परीक्षा तीन वर्ष के अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में आयोजित की जाएगी। किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक छात्र संबंधित सेमेस्टर की संबंधित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होगा, जो कि



Scanned with OKEN Scanner

बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति आवश्यकता के अधीन है, जिसकी गणना सेमेस्टर के आधार पर की जाती है।

b) बैचलर ऑफ लॉ (ऑनर्स) की डिग्री के लिए एक उम्मीदवार को पहले सत्र के लिए लॉ संकाय में प्रवेश के शैक्षणिक सत्र से पांच साल से अधिक समय में सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा या विश्वविद्यालय जैसा निर्धारित किया गया हो। इसके बाद भी अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसे कोर्स छोड़ना होगा।

(ii) अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन, बैचलर ऑफ लॉ (ऑनर्स) की डिग्री के लिए परीक्षाएं जयपुर में ऐसे समय और तारीखों पर आयोजित की जाएंगी जो परीक्षा नियंत्रक निर्धारित कर सकते हैं।

(iii) एक उम्मीदवार की प्रत्येक सेमेस्टर में 100 अंकों के 6 पेपरों में परीक्षा ली जाएगी, प्रत्येक पेपर में 6 क्रेडिट होंगे और पहले सेमेस्टर में अंग्रेजी भाषा का एक अनिवार्य पेपर होगा।

(iv) पहले सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में परीक्षाएं प्रत्येक तीन घंटे की अवधि के लिखित पेपर के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, साथ ही सत्र परीक्षा/परियोजना कार्यों, नियमितता, चर्चाओं, विस्तार गतिविधियों, फील्ड कार्यों, अदालत के दौरे का मूल्यांकन भी किया जाएगा और मौखिक परीक्षा, जैसा भी मामला हो।

**16.2 अंकों का विभाजन:**

(1) एलएलबी (ऑनर्स) में प्रत्येक अनिवार्य, वैकल्पिक और ऑनर्स पेपर। परीक्षा 100 अंकों की होगी।

बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक पेपर में 70 अंक लिखित सैद्धांतिक पेपर के आधार पर, 15 अंक सत्रीय परीक्षा/प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर और 15 अंक संबंधित पेपर से संबंधित चर्चा, नियमितता सहित प्रदर्शन के आधार पर और कक्षा में सतर्कता आरक्षित होंगे।

**16.3 एलएलबी (ऑनर्स) में प्रत्येक अनिवार्य क्लिनिकल पाठ्यक्रम में छह सेमेस्टर डिग्री पाठ्यक्रम में अंकों का विभाजन निम्नलिखित तरीके से होगा:-**

**(a)** एलएलबी (ऑनर्स) में क्लिनिकल कोर्स पेपर - **I** (व्यावसायिक नैतिकता, वकीलों की जवाबदेही और बार बेंच रिलेशनशिप)। प्रथम सेमेस्टर।

**(i)** लिखित सिद्धांत पेपर - **60** अंक

**(ii)** कक्षा में संबंधित पेपर, नियमितता और सतर्कता से संबंधित चर्चा सहित प्रदर्शन--**20** अंक

**(iii)** मौखिक परीक्षा - **20** अंक

**(b)** एलएलबी (ऑनर्स) तीसरे सेमेस्टर में क्लिनिकल कोर्स पेपर **II** (मूट कोर्ट)।

(मूट कोर्ट का काम सौंपी गई समस्याओं पर होगा और लिखित प्रस्तुति के लिए **5** अंक और मौखिक वकालत के लिए **5** अंक का मूल्यांकन किया जाएगा)

**(i)** परीक्षण का पालन - **30** अंक

**(ii)** साक्षात्कार तकनीक और परीक्षण-पूर्व तैयारी - **30** अंक



Scanned with OKEN Scanner

(छात्रों की डायरी में दर्ज साक्षात्कार सत्र की कार्यवाही **15** अंकों की होगी। मुकदमा/याचिका दायर करने के लिए दस्तावेजों और प्रक्रियाओं वाले अन्य रिकॉर्ड में **15** अंक होंगे)

**(iii)** मौखिक परीक्षा - **10** अंक

**c)** एलएलबी (ऑनर्स) चौथे सेमेस्टर में क्लिनिकल कोर्स पेपर **LI** (ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेन्सिंग)

**(i)** प्रारूपण, निवेदन और संप्रेषण में अभ्यास - **70** अंक

**(ii)** कक्षा में संबंधित पेपर की नियमितता और सतर्कता से संबंधित चर्चा सहित सामान्य प्रदर्शन - **20** अंक

**(iii)** मौखिक परीक्षा - **10** अंक

**(d)** एलएलबी (ऑनर्स) पांचवां सेमेस्टर में क्लिनिकल कोर्स पेपर-**IV** (वैकल्पिक विवाद समाधान)।

**(i)** लिखित सिद्धांत पेपर - **70** अंक

**(ii)** प्रदर्शन में संबंधित पेपर से संबंधित चर्चा, नियमितता और सतर्कता और कक्षा में अभ्यास शामिल हैं - **30** अंक

**C. मौखिक परीक्षा:**

(i) क्लिनिकल कोर्स के लिए प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के क्रमशः I, II और III पेपर में एलएलबी में छात्रों की मौखिक परीक्षा होगी।

(ii) मौखिक परीक्षा जयपुर में विधिविद्याशाखा के प्रमुख के परामर्श से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित किए गए समय और तारीखों पर आयोजित की जाएगी।

बशर्ते कि उन छात्रों के लाभ के लिए जिन्होंने सेमेस्टर मौखिक परीक्षा के समय उपर्युक्त खंड 16.3 (क) से (ग) के अधीन अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था या जो किसी भी पूर्व मौखिक परीक्षा में असफल रहे थे , एक पूरक मौखिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है

(iii) मौखिक परीक्षा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी और परीक्षक, उम्मीदवार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय, उम्मीदवार द्वारा रखी गई डायरी आदि को ध्यान में रखेंगे, जैसा भी मामला हो.

**16.4 पंजीकरण:**

(i) (क) एक नियमित उम्मीदवार को इस संबंध में निश्चित की जाने वाली तिथि को या उससे पहले निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में विधिशास्त्रविद्याशाखा के प्रमुख को आवेदन करना होगा।

(ख) एक पूर्व छात्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ, निर्धारित परीक्षा में उपस्थित होने के अपने आशय को सूचित करते हुए, इस संबंध में निर्धारित की जाने वाली तारीख को या उससे पहले, निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ रजिस्ट्रार कुलसचिव को आवेदन करेगा।

(ii) (क) परीक्षा शुल्क ऐसा होगा जो प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा या उसके किसी भाग के लिए मार्क शीट शुल्क सहित निर्धारित किया जा सकता है।



Scanned with OKEN Scanner

(ख) जो अभ्यर्थी किसी कारणवश सुसंगत परीक्षा में पूर्णतः या अंशतः उपस्थित होने में असमर्थ हो या जो उपस्थित होकर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल हो जाए, वह, इसके पश्चात् उल्लिखित मामलों को छोड़कर, अपने परीक्षा शुल्क की वापसी या संबंधित वर्ष की आगामी परीक्षा में शुल्क के समायोजन का हकदार नहीं होगा।

(ग) किसी उम्मीदवार द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वा। र किया जा सकता है यदि-

(i) उसका फॉर्म विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है; या

(ii) शुल्क जमा कर दिया गया है लेकिन फॉर्म नहीं; या

(iii) अकादमिक विद्वत परिषद अनुकंपा के आधार पर धन वापसी की अनुमति देती है।

(d) बीमारी के कारण परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहने वाले उम्मीदवार के मामले में एक उम्मीदवार का परीक्षा शुल्क, 10 रुपये काटने के बाद संबंधित वर्ष की अगली आगामी परीक्षा के लिए जमा किए जा सकता हैं।

बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित एक आवेदन, परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने के भीतर उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

बशर्ते कि उम्मीदवार अगली आगामी परीक्षा के लिए जो फॉर्म जमा करेगा वह सभी प्रकार से पूर्ण हो और स्वीकार किया जाए।

(iv) एक बार अगली आगामी परीक्षा के लिए जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(v) रजिस्ट्रार/परीक्षा नियंत्रक आवेदन की जांच करेगा, जो सही पाए जाने पर ऐसी परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जारी करेगा।

(vi) एक बैक पेपर परीक्षा शुल्क (मार्क्स शीट शुल्क सहित) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर के एक से अधिक पेपर में उपस्थित होता है तो उससे पूरी फीस ली जाएगी।

यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर के एक से अधिक पेपर में उपस्थित होता है तो उससे पूरी फीस ली जाएगी।

**16.5 प्रवेश पत्र:**

(i) किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारी को अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता अथवा ऐसे अधिकारी को यह संतुष्टि नहीं दे देता कि प्रवेश पत्र बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) यदि रजिस्ट्रार/परीक्षा नियंत्रक को यह संतुष्टि हो जाती है कि परीक्षा प्रवेश पत्र खो गया है अथवा नष्ट हो गया है, तो वह निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी कर सकता है।

**16.6 परीक्षा:**

एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम की परीक्षा सेमेस्टरवार अर्थात वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी।

**16.7 परीक्षा के लिए पुनः पंजीकरण:**



Scanned with OKEN Scanner

(i) एल.एल.बी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कोई पूरक/द्वितीय परीक्षा नहीं होगी। तथापि, जो विद्यार्थी एल.एल.बी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं या उपस्थित नहीं हो पाते हैं, वे अगले शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थियों के साथ संबंधित सेमेस्टर के संबंधित पेपर या पेपरों में उपस्थित होने के पात्र होंगे।

(ii) जो विद्यार्थी पांचवें सेमेस्टर के किसी पेपर/पेपरों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह पूरक परीक्षा में उपस्थित हो सकता है।

(iii) जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो, भूतपूर्व अभ्यर्थी को उस समय प्रासंगिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिस समय वह वास्तव में परीक्षा में उपस्थित होता है, न कि उन प्रावधानों के अनुसार जो उस समय निर्धारित किए गए थे, जब वह नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हुआ था या उसे उपस्थित होना चाहिए था, जो कि ट्रांज़िटरी अध्यादेशों में निहित प्रावधानों के अधीन है।

**16.8** श्रेणी और विशिष्टता की घोषणा:

एक उम्मीदवार जिसे उपस्थिति की कमी के कारण उच्च कक्षा में पदोन्नत किया गया है या फिर से प्रवेश दिया गया है, उसे उस वर्ष पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम का ही अध्ययन करना होगा। लेकिन अगर कोई सामान्य पेपर है जिसका अध्ययन उसने पहले ही एलएलबी में कर लिया है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे सेमेस्टर में, उसे एचओडी की अनुमति से कोई अन्य पेपर पढ़ाया जा सकता है जो उसने नहीं पढ़ा है (अधिमानतः एक पेपर जो नए पाठ्यक्रम में है)।

एक उम्मीदवार जो एलएलबी के सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर को मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने पर "उत्तीर्ण" घोषित किया जाएगा। ऐसे उत्तीर्ण उम्मीदवार को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार श्रेणी प्रदान की जायेगी:-

16.9 अंकों का पैमाना, श्रेणी और विशिष्टता:

श्रेणी: प्रथम श्रेणी: छह सेमेस्टर में कुल अंकों का 65% और उससे अधिक।

द्वितीय श्रेणी: 45% और अधिक लेकिन छह सेमेस्टर में कुल अंकों का 65% से कम।

विशिष्टता: एक उम्मीदवार, जो किसी भी पाठ्यक्रम में असफल हुए बिना, सभी छह सेमेस्टर के कुल मिलाकर औसतन 75% या अधिक अंक प्राप्त करता है, उसे विशिष्टता प्राप्त घोषित किया जा सकता है।

मेरिट: इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट का क्रम निर्धारित नियमों/विनियमों के अधीन, पहले सेमेस्टर में प्रवेश के वर्ष से छह सेमेस्टर में विभिन्न पेपर उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों में से सभी छह सेमेस्टर में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

**16.10 उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन:**



Scanned with OKEN Scanner

विद्यार्थी समय-समय पर विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है।

**16.11 परीक्षा में अनियमित उपस्थिति और उत्तीर्ण होने के परिणाम:**

(i) एक छात्र जो निचले सेमेस्टर के लिए अध्ययन के सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों के संबंध में परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना उच्च सेमेस्टर के अध्ययन का एक कोर्स करता है, वह किसी भी छात्रवृत्ति, या किसी अन्य वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो जाता। प्रासंगिक परीक्षाएं जो उसे उस सेमेस्टर में शामिल होने का अधिकार देती हैं जिसमें उसे होना था।

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी विधिशास्त्रविद्याशाखा के एचओडी को किसी भी छात्रवृत्ति या फ्रीशिप को जारी रखने या कोई अन्य वित्तीय सहायता देने से नहीं रोकेगा, जहां वह संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार बीमारी या किसी अन्य पर्याप्त कारण के परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका।

बशर्ते कि किसी भी छात्रवृत्ति, मुफ्त सहित वित्तीय सहायता प्रदान करते समय, ऐसे छात्रों के मामलों पर विचार किया जा सकता है जो निचले सेमेस्टर के अध्ययन के सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, यदि परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की पर्याप्त संख्या हो तो विचार किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निचले सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं।

(ii) एक छात्र किसी भी पुरस्कार, पदक, पुरस्कार या उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, केवल ऐसी परीक्षा के संबंध में जिसे वह एक बार में पूरी तरह से उत्तीर्ण करता है।

## 17. परिभाषाएं

(i) "क्रेडिट" किसी पेपर को दिए गए निर्देशात्मक घंटों के संबंध में उसे दिया गया महत्व है। प्रत्येक पेपर में *6* क्रेडिट होंगे, इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक पेपर को *6* शिक्षण घंटे (जिसमें प्रति सप्ताह व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रोजेक्ट कार्य शामिल होंगे) आवंटित किए जाएंगे।

(ii) एक "नियमित छात्र" वह है जिसने अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम अपनाया है और अध्यादेश में उल्लिखित निर्धारित उपस्थिति प्राप्त की है और उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा में बैठने के लिए पात्र है।

(iii) "पूर्व छात्र" वह है जिसने वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा की तारीख से पहले कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष के लिए लॉ स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन उस परीक्षा में असफल रहा है या असफल रहा है, तथापि अन्यथा पात्र है।



Scanned with OKEN Scanner

## 15. विविध प्रावधान

15.1 कहीं भी इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, पहले और तीसरे सेमेस्टर के बैक-लॉगर के लाभ के लिए एक परीक्षा दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी और दूसरे और चौथे सेमेस्टर के बैक-लॉगर के लाभ के लिए एक परीक्षा अप्रैल माह में परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट तिथियों पर आयोजित की जायेगी।

15.2 एलएलबी के छात्रों के लिए पांचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं ग्रीष्मावकाश के बाद विश्वविद्यालय के दोबारा खुलने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट तिथियों पर आयोजित की जाएंगी।

15.3 इसमें शामिल ये अध्यादेश इसकी प्रयोज्यता की सीमा तक शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से लागू माने जाएंगे।

15.4 विधिशास्त्रविद्याशाखा के प्रमुख को विभागीय परिषद के साथ परामर्श करके इन अध्यादेशों की व्याख्या और/या आवेदन में किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति निहित जो अंतिम होगी।

**अनुलग्नक. 1 विवरण पाठ्यक्रम सामग्री संलग्न है**

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः



Scanned with OKEN Scanner